भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 13 /2023
New Delhi, Dated: 12.04.2023

No. 2023/AC-II/2/1
PFAs
All Indian Railways/PUs.

Sub: Accountal of expenditure incurred projects covered under 'Sovereign Green Bonds'.

Please refer to Budget Directorate's letter No. 2022-B-116/1 dated 31.03.2023 regarding FME 2022-23, wherein a new fund source Sovereign Green Bonds has been introduced to finance Capital Expenditure of the Railways under Plan Head 2100 and 8100. The provision of funds for projects covered under SGF has also been made during the current fiscal. Accordingly, a new source of Fund has been introduced in Railway Accounts and also IPAS for booking of expenditure on projects/ items to be funded through Sovereign Green Bond Fund as under:-

Source	Proposed
Sovereign Green Fund	35XXXXXX

Since the expenditure under these items already stand booked under Source 20-Capital by the Zonal Railways, necessary rectification in source of fund for expenditure incurred for items mentioned under Budget Directorate's letter referred ibid may kindly be done as under:

Capital (5002) 20 XXXX XX (-) Dr
To 35 XXXX XX (SGF) (+)Dr

However, transfer of funds from MH 5002/03-Capital outlays on IR-Commercial/ Strategic Lines to Sovereign Green Fund (MH 8235) will be done at Railway Board level, as is being done in case of RRSK.

Kindly take necessary action accordingly.

12/04/23

(Ajay Bartwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No. 23047018
E mail ID: ajay.bartwal@gov.in

Copy for information:-
1.MD/CRIS/New Delhi,
2. GM/ AIMS/ CRIS with request to introduce the new source in account format as well as relevant schedules and FR in IPAS, if not already done.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 13/2023

सं. 2023/एसी-II/2/1 नई दिल्ली, दिनांक: 12.04.2023

प्रधान वित्त सलाहकार

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड' के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं पर उपगत व्यय का लेखा-जोखा।

कृपया वित्त प्रबंधन उत्कृष्टता 2022-23 के संबंध में बजट निदेशालय के दिनांक 31.03.2023 के पत्र सं. 2022-बी-116/1 का अवलोकन करें, जिसमें योजना शीर्ष 2100 और 8100 के तहत रेलों के पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए एक नया निधि स्रोत सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड शुरू किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड' के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं के लिए निधियों का प्रावधान भी किया गया है। तदनुसार, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड निधि द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं/मदों पर व्यय दर्ज करने के लिए रेल लेखों और इंटीग्रेटिड पेरॉल एंड एकाउंटिंग सिस्टम में निम्नानुसार निधि का एक नया स्रोत शुरू किया गया है:-

स्रोत	प्रस्तावित
सॉवरेन ग्रीन फंड	35XXXXXX

जैसा कि इन मदों के तहत व्यय को क्षेत्रीय रेलों द्वारा पहले ही स्रोत 20 - पूंजी के तहत दर्ज किया जा रहा है, अतः बजट निदेशालय के पूर्वोक्त संदर्भित पत्र के तहत उल्लिखित मदों हेतु उपगत व्यय के लिए निधि के स्रोत में कृपया निम्नानुसार आवश्यक सुधार किया जाए:

पूंजी (5002) 20 XXXX XX से (-) डीआर

35 XXXXXX(एसजीएफ) को (+) डीआर

बहरहाल, भारतीय रेल-वाणिज्य/सामरिक रेल लाइनों पर मुख्य शीर्ष 5002/03-पूंजीगत परिव्यय से सॉवरेन ग्रीन फंड (मुख्य शीर्ष 8235) में निधियों का अंतरण रेलवे बोर्ड के स्तर पर किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के मामले में किया जा रहा है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अजय बर्तवाल)

संयुक्त निदेशक, वित्त (सीसीए)

रेलवे बोर्ड

फो. नं. 23047018

ईमेल आईडी: ajay.bartwal@gov.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. प्रबंध निदेशक/क्रिस/नई दिल्ली,
2. महाप्रबंधक/एआईएमएस/क्रिस को नए स्रोत को लेखा प्रारूप के साथ-साथ संगत अनुसूचियों और इंटीग्रेटिड पेरॉल एंड एकाउंटिंग सिस्टम में वित्तीय प्रतिवेदन में शामिल करने के अनुरोध के साथ, यदि पहले नहीं किया गया है।